न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न0 **154 / 2019**

प्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. कैलाशदान, सुमेरदान, मोहनदान पि0 खेमदान, खमाकंवर बेवा खेमदान कौम चारण
2. खमीश पुत्र जानू , फतेहखां वल्द जानू खां मुसलमान
3. इब्राहीम, नूरेखां पि0 जलाखां , खमीशा पुत्र जानू खां
4. सरपंच ग्राम पंचायत गोपडी इब्राहिम नूरेखां पि0 जलाखां लालेखा, मोहम्मद खां, छोटूखां पि0 अकबर खां ना0ब0 की वली आसी, नेकू पुत्र महेन्द्र खां
5. बालूबाई, दरियाबाई पि0 महेशदान, शेरदान वल्द वगतावरदान
6. वगतावरदान वल्द कौजूदान, लतीबखां वल्द सुमारखां जमेखा, वल्द मूसे खां, कालूखां पुत्र हबीब खां, अब्देखा, शकूर खां, पि0 मूसे खां , हीरसिंह, उदयदान, कैलाशदान, पीदान पि0 जोधदान, भंवरदान वल्द भीमदान, हमरदान वल्द हेतुदान, चम्पतदान, ओमदान, दलपतदान, शेणीदान पि0 प्रेमदान, तारकंवर पत्नी प्रेमदान चारण सभी निवासी ईकडाणी तहसील पचपदरा ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती करने बाबत।

उपस्थित :– 1. राजकीय पेरोकार तहसीलदार, पचपदरा

18-6-2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य की और से तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रार्थना –पत्र पेश कर निवेदन यिका गया कि अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि तहसीलदार पचपदरा को डी आई एल.आर.एल.पी योजनान्तर्गत अतिशीघ्र ऑनलाईन कर सभी सुविधाएं आनॅलाईन उपलब्ध करवाने के प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किये जा रहे है। ऑनलाईन होने के पश्चात काश्तकारों को सीधे ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ई–मित्र कियोस्क पर समस्त रेकर्ड एवं नक्शे ऑनलाईन सॉफटवेयर के माध्यम के उपलब्ध हो सकेगे । इससे काश्तकारों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी तथा उनका समय एवं धन बचेगा। तहसील पचपदरा के सरहद मौजा ईकडाणी में मूल खेत खसरा संख्या 188 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है । अन्त में निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण के मूल खसरो के अनुसार एकीकरण करने का निवेदन किया गया । यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है ।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 9.1.2020 को प्रार्थी के प्रार्थना– पत्र को खारिज किया गया, प्रार्थी राजस्थान राज्य की और से तहसीलदार पचपदरा के द्वारा दिनांक 15.2.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी को सुने बिना दिनांक 9.01.2020 को पारित एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर पुनः बरामद करने का निवेदन किया गया । प्रार्थी को सुना जाकर दिनांक 15.02.2021 को इस न्यायालय क द्वारा दिनांक 09.01.2020 को पारित आदेश को अपास्त कर आवेदन पत्र पुनः बरामद किया गया । विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित [illegible] तरफा कार्यवाही की जाती है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.08.20 16:53:52 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार सरकार की बहस को सुना गया प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मौजा ईकडाणी में मूल खेत खसरा संख्या 188 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरो का मूल खसरा मे एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत में प्रतित नहीं होता है ।

प्रार्थी के आवेदन को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

(नरेश सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा